(समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत

दुरभाष स. 0294.2421255, 2420013, **Helpline no.** 0294.2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व / 2022–23 / 912

दिनांकः– 15.2.23

निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा वाहन पार्किंग स्थलों **1. आसीन्द की हवेली भूमितल 2. आसीन्द की हवेली ऊपरीतल 3. माणिक्य लाल वर्मा पार्क, दीनदयाल पार्क व दुधतलाई पाल 4. सेवाश्रम** पर वाहन पार्किंग व्यवस्था, कुल चार कार्य हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए वाहन पार्किंग कार्य हेतु सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों की सूचना वेबसाईट https://sppp. Rajasthan. gov.in पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारंभ तिथि 16/2/23 अन्तिम तिथि 24/2/23 तथा खुलने की तिथि 27/2/23 है।

UBN No.-

गोविन्द सिंह टाँक	वासुदेव मालावत (R.A.S.)
महापौर	आयुक्त
नगर निगम उदयपुर	नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण में तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें तथा कार्यादेश की प्रति ई–मेल आई.डी. revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

दुरभाष स. 0294.2421255, 2420013, **Helpline no.** 0294.2426262 वेबसाइट- **www.udaipurmc.org**

दिनांकः— 15.2.23

क्रमांकः— राजस्व / 2022—23 / 912

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नलिखित स्थल पर वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	पार्किंग स्थल	प्रारम्भिक बोली राशि(रू.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (नोन रिफण्डेबल)	बोली प्रतिभूति राशि (प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष का 2 प्रतिशत)	निविदा अवधि
1	आसीन्द की हवेली भूमितल	8,15,000 / —	1000+180=1180/-	34,230 / —	2 वर्ष
2	आसीन्द की हवेली उपरीतल	2,30,000 / —	1000+180=1180/-	9,660 / —	2 वर्ष
3	माणिक्य लाल वर्मा पार्क, दीनदयाल पार्क व दुधतलाई पाल	1,81,000 / —	1000+180=1180/-	7,602 / —	2 वर्ष
4	सेवाश्रम	70,000 / —	1000+180=1180/-	2,940 / —	2 वर्ष

अतः उक्त स्थल पर वाहन पार्किंग के ठेके लेने के इच्छुक संस्था / फर्म / एजेन्सी उक्त स्थल के लिये निविदा प्रपत्र शुल्क 1180 / — रूपये में नगर निगम कार्यालय अथवा https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 1180 / — रूपये का डीडी आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा विक्रय दिनांक 16/2/23 प्रातः **10.00** बजे से दिनांक 24/2/23 को सायं **5.00** बजे तक रहेगा। बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम संलग्न करना होगा।

निविदा दिनांक 27/2/23 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक 27/2/23 को सांय **04.00** बजे उपस्थित निविदा दाताओ के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी निगम की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

आयुक्त
नगर निगम,उदयपुर

नगर निगम वाहन पार्किंग स्थल पर पार्किंग व्यवस्था की शर्ते

1. निगम द्वारा दर्शाई गई प्रारंभिक बोली राशि सांकेतिक है उपयुक्त पाए जाने पर अधिकतम दर देने वाले बिडर की दर अनुमोदित की जाएगी।
2. पार्किंग स्थल पर रखे गये सभी वाहनो की सुरक्षा का दायित्व सफल बिडर का रहेगा। पार्किंग स्थल में वाहन चोरी या अन्य दुर्घटना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी तथा उसके लिये यदि कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय हुआ तो वह पूर्णतः सफल बिडर का दायित्व होगा।
3. पार्किंग स्थलों पर सफल बिडर द्वारा निम्नलिखित दर से राशि वसूल की जा सकेगी:–

साईकिल	2/–रूपया
मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड	5/–रूपया
कार, जीप	10/–रूपया

नोटः– उपरोक्त दरे प्रति 2 घंटे के लिये मान्य होगी।

सफल बिडर द्वारा स्थाई रूप से वाहन रखने वालो के लिए मासिक पास की व्यवस्था करनी होगी। यदि सफल बिडर द्वारा किसी व्यक्ति के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन रखने के मासिक पास जारी किये जाते है तो वाहन वार पृथक–पृथक रसीदे जारी करनी होगी। मासिक पास का शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

मोटर साईकिल, स्कूटर मोपेड आदि	700.00 रूपया प्रतिमाह
कार, जीप आदि	1200.00 रूपया प्रतिमाह

4. पार्किंग कार्य का कार्यादेश अधिकतम दर देने वाले बिडर को स्वीकृत किया जाएगा।
5. बिड खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले बिडर को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जाएगा। इस दर अनुमोदन के पत्र के जारी होने के 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, दोनों वर्ष की कुल राशि का 10 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रुप में तथा प्रथम वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम किश्त के रुप में जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्यारंभ किया जाएगा।
6. प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त) कार्यारम्भ की दिनांक से पांच माह पश्चात् किन्तु 6 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2023 है तो प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2023 से 30 जून 2023 के मध्य जमा करानी होगी।
7. द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग तृतीय किश्त कार्यारम्भ तिथि के 11 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 12 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2023 है तो द्वितीय वर्ष की राशि 1 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 के मध्य जमा करानी होगी।
8. द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिश्त शेष भाग (चतुर्थ किश्त) कार्यारम्भ तिथि के 17 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 18 वां माह समाप्त होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि

कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2023 है तो द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2024 से 30 जून 2024 के मध्य जमा करानी होगी।

9. यदि सफल बिडर द्वारा दोनों वर्ष की राशि एकमुश्त अनुबन्ध के समय एक साथ एक मुश्त जमा करा दी जाती है तो दोनों वर्ष की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

10. यदि सफल बिडर द्वारा प्रथम वर्ष की शेष राशि 50 प्रतिशत (द्वितीय किश्त) या द्वितीय वर्ष की 50 प्रतिशत राशि (तृतीय किश्त) या द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत (चतुर्थ किश्त) निर्धारित तिथियों अनुसार नही जमा कराई जाती है तो निगम द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगीः—

(क) पार्किंग स्थल को तत्काल प्रभाव से निर्धारित तिथि पश्चात् अधिग्रहित किया जाकर बिडर (संवेदक) की कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त करते हुये ऐसे बिडर को निगम की पार्किंग संबंधी निविदाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित (डिबार) कर दिया जाए।

अथवा

(ख) बिडर (संवेदक) को किश्त जमा कराने की तिथि का विस्तार प्रदान किया जाए किन्तु विस्तारित अवधि के लिए देय दिनांक से वास्तविक रुप से जमा दिनांक तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए।

उपरोक्त विकल्प क और ख का चयन आयुक्त नगर निगम द्वारा माननीय महापौर महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा पूर्णतया आयुक्त एवं माननीय महापौर महोदय के विवेकाधीन होगा जिसे बिडर (संवेदक) को मान्य करना होगा।

11. सफल बिडर को द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त हेतु पोस्ट डेटेड चेक वक्त अनुबन्ध प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि या उसके पश्चात् बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा किसी भी कारण से चैक अनादरित हो जाने पर बिडर (संवेदक) को दूरभाष पर सूचित कर राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये जायेंगे।
ये पोस्ट डेटेड चैक निम्नांकित तिथियों के होंगेः—

- प्रथम वर्ष की द्वितीय किश्त — कार्यारंभ के छट्टे मास का पन्द्रवा दिन
- द्वितीय वर्ष की प्रथम किश्त — कार्यारंभ के बारहवें मास का पन्द्रवाँ दिन
- द्वितीय वर्ष की द्वितीय किश्त — कार्यारंभ के अठारहवें मास का पन्द्रवाँ दिन

12. सफल बिडर की स्वेच्छा से समय से पूर्व कार्य छोडने पर कोई जमा राशि नहीं लौटाई जायेगी।
13. जिस सफल बिडर के नाम पर कार्य स्वीकृत होगा वो ही पार्किंग शुल्क की राशि वसूली करने हेतु अधिकृत होगा। सफल बिडर द्वारा कर्मचारी रखे जाने पर उसके परिचय पत्र, मोबाइल नं. की सूचना राजस्व शाखा में प्रस्तुत करनी होगी।
14. नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद व सरकारी वाहनों को परिचय पत्र बताने पर शुल्क से मुक्त रखा जायेगा किन्तु मासिक पास में किसी प्रकार की छूट/रियायत देय नही होगी।
15. नगर निगम/राज्य सरकार के किसी भी जनहित के कार्यक्रम होने पर पार्किंग स्थल को रिक्त रखना होगा जिसका सफल बिडर को कोई मुआवजा देय नही होगा।
16. सफल बिडर की कोई शर्ते स्वीकार नही की जायेगी।
17. पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम का वैधानिक कर्तव्य होने के कारण आर्टिकल 243 (W) के अन्तर्गत आता हैं। अतः पार्किंग सुविधा की इस निविदा पर जी.एस.टी. लागू नही है यदि भविष्य में किसी संशोधन के फलस्वरुप जी.एस.टी. देय होता है तो निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

18. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसियेशन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/ महापौर नगर निगम का रहेगा।
19. सफल बिडर को नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
20. सफल बिडर नगर निगम, द्वारा बताये गये स्थल पर ही पार्किंग करने हेतु अधिकृत होगा।
21. निम्नांकित परिस्थितियाँ यदि दस दिवस या अधिक की अवधि के लिए घटित हो जाती है तो दस दिवस से अधिक दिनों की समयावधि में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। दस दिवस से कम होने पर कोई वृद्धि नही की जाएगी।
(1) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उदयपुर शहर को बन्द रखे जाने पर।
(2) कानून व्यवस्था हेतु पार्किंग से सम्बधिंत थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने पर।
(3) सड़क सुधार या अन्य किसी कारण से पार्किंग स्थल तक वाहनों के पहुँचने का मार्ग अवरूद्ध होने पर मार्ग अवरूद्ध हो जाने की सूचना मार्ग अवरूद्ध होने के दिन ही देनी होगी तथा राजस्व अधिकारी व सम्बधिंत वार्ड के अभियन्ता के द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने पर तथा पार्किंग तक पहुंचने के सभी मार्ग बन्द हो जाने पर ही अवधि विस्तार किया जाएगा। यदि पार्किंग स्थल तक पहुंचने की वैकल्पिक मार्ग खुले उपलब्ध होगे तो अवधि विस्तार नही किया जाएगा।
(4) यदि पार्किंग स्थल के आसपास के क्षेत्र को No-vehicle zone घोषित कर दिया जाता है अथवा सप्ताह के कुछ दिनों के लिए No-vehicle zone घोषित किया जाता है तो ठेका राशि में आनुपातिक कमी कर दी जाएगी अथवा ठेका अवधि में आनुपातिक वृद्धि कर दी जाएगी।
निविदा स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की रसीद बुक निगम स्तर पर तैयार करवायी जाकर निगम द्वारा ठेकेदार को दी जावेगी। रसीद प्रिन्टिंग का व्यय संवेदक को नगर निगम में अलग से जमा कराना होगा। नगर निगम द्वारा प्रदत रसीदो को ही ठेकेदार द्वारा वाहन मालिको को दिया जावेगा तथा ठेकेदार को रसीदो का उचित रूप से रिकॉर्ड संधारित करना होगा।

22. **निम्नलिखित परिस्थितियों में सफल बिडर के विरूद्ध प्रति अवहेलना पर 20,000/– रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगीः–**

- नगर निगम द्वारा जारी रसीद बुक के अतिरिक्त अन्य रसीद ठेकेदार देता हुआ पाया जाता है अथवा नगर निगम के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अवहेलना पाये जाने पर।
- अव्यवस्थित पार्किंग व निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने व जाँच उपरान्त उपरोक्त अनियमितता पाए जाने पर।
- निगम द्वारा निर्धारित दरो की सूचना मौके पर सफल बिडर द्वारा सहज दृश्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो जगहों पर बडे–बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शित करनी होगी अन्यथा प्रति अवहेलना पर 20,000/– रूपये शास्ति वसूल की जावेगी।

23. सफल बिडर को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में संविदा हेतु 500/–रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
24. एक वर्ष मे 3 से अधिक शास्तियां आरोपित हो जाने अथवा संवेदक द्वारा निविदा की शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर सफल बिडर को 24 घण्टे का नोटिस दिया जाकर उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका अन्तिम

निर्णय महापौर/आयुक्त नगर निगम उदयपुर द्वारा किया जायेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।

25. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल बिडर द्वारा वहन किया जायेगा।
26. सफल बिडर द्वारा पार्किंग हेतु चयनित स्थान के बाहर खडे वाहनो को यातायात पुलिस विभाग द्वारा जब्त करने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।
27. सफल बिडर को स्वीकृत बोली राशि (प्रथम वर्ष+द्वितीय वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ) का 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में नगद/बैंक प्रतिभूति के रूप में आयुक्त नगर निगम के नाम जमा करनी होगी। यह राशि संतोषप्रद ठेका अवधि समाप्ति के बाद तथा राजस्व अधिकारी द्वारा कुछ बकाया नही प्रमाणित करने के बाद नियमानुसार लौटाई जायेगी।
28. सफल बिडर द्वारा पार्किंग स्थल पर नियुक्त कर्मचारी को संवेदक द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड एवं आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। पार्किंग के लिये नियुक्त कर्मचारी द्वारा आमजन के साथ शालीन व भद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। अभद्र व्यवहार, निर्धारित ड्रेसकोड की पालना नहीं होने/सफल बिडर द्वारा जारी आईडी कार्ड नहीं होने की शिकायत पाये जाने पर 500/– रुपये की शास्ति प्रति शिकायत सफल बिडर को निगम में जमा करानी होगी।
29. पार्किंग स्थल संबंधी समस्त विद्युत खर्च का भुगतान सफल बिडर द्वारा किया जायेगा। सफल बिडर द्वारा विद्युत खर्च संबंधी बिल नियमित रूप से भरे जायेंगे विद्युत बिल समय पर जमा नही करवाने पर पेनेल्टी आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। निविदा समयावधि समाप्ति पश्चात् निगम की विद्युत शाखा से समस्त विद्युत बिल के भुगतान एवं विद्युत उपकरणों की अनापत्ति प्रदान करने पश्चात् ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जायेगी।
30. कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कारणवश सफल बिडर द्वारा कार्य बीच में ही छोड दिये जाने अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर सफल बिडर की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर संबंधित पार्किंग स्थल की निविदा प्रक्रिया से अधिकतम अगले 3 वर्ष हेतु विवर्जित कर दिया जायेगा।
31. बिडर को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे इनके अभाव में बिडर को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा–
    - पेन कार्ड।
    - आधार कार्ड।
    - फर्म/संस्था/कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
    - स्थायी निवास पता हेतु आई.डी. प्रुफ।
    - निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
    - धरोहर राशि की रसीद अथवा या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
    - क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का शपथ पत्र या पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
32. अधिक जानकारी वेबसाईट <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u> पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.–71) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
33. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :–(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालो से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति **forfiet** नहीं की जा सकती। (नियम 48)

34. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियां</u> :— बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

35. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

36. **करार का निष्पादन :—**

(1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

(5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।

37-The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971

38. **Additional Conditions of Contract**

Correction of arithmetical errors

a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

39. जुर्माना :—

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से

दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

40. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होगे।
41. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नही है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नही है।
42. बिडर स्वयं पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो जावें तथा निगम में पार्किंग स्थलों हेतु निर्धारित स्थानों के नक्शे का अवलोकन कर ले। बिडर के संबंध में यह माना जाएगा की उसने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर वाहनों की पार्किंग क्षमता, प्रवेश निकास द्वार, विद्युत सुविधा आदि का निरीक्षण कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा में भाग लिया है अतः भविष्य में पार्किंग स्थलों के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार्य नही होगी।
43. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।

महापौर
नगर निगम उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर